

जीसस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन,

अशोक राजपथ, पटना-04

नियमावली

1. कोई भी स्कूल/इन्सच्यूट शिक्षण संस्था जो बोर्ड/एकेडमी से स्थायी मान्यता या सम्बद्धता लेकर कार्य करती है तब उसे उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था हेतु अच्छी बिल्डिंग या कैम्पस तथा योग्य क्वालीफाइड स्टाफ का रखना आवश्यक होगा, यह सम्पूर्ण व्यवस्था केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा की जायेगी। यदि इस तरह की किसी भी व्यवस्था में दोष है, तब इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बद्धता लेने वाली संस्था का होगा। बोर्ड/एकेडमी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2. परीक्षा कॉपिया व प्रश्नपत्र बोर्ड/एकेडमी द्वारा भेजे जायेंगे। केन्द्र व्यवस्थापक अपनी व्यवस्था के अनुसार परीक्षा सम्पन्न कराकर कॉपिया बोर्ड/एकेडमी को भेजे, ताकि उसका मूल्यांकन करके प्रमाण पत्र जारी किया जा सकें।
3. एकेडमी द्वारा किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र चलाने हेतु सम्बद्धता एक वर्ष के लिए दिया जायेगा।
4. एकेडमी द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र से संतुष्टी होने पर अवधि बढ़ायी जायेगी।
5. एकेडमी द्वारा सम्बद्धता के लिए निर्धारित शुल्क **जीसस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, पटना** को देय होगा।
6. किसी भी संस्था/व्यक्ति की मान्यता देने या न देने का अधिकार बोर्ड/एकेडमी के पास पूर्णतय: सुरक्षित हैं बोर्ड/एकेडमी का निर्णय ही सभी को मान्य होगा।
7. कोर्स उत्तीर्ण किसी भी अभ्यथी को सरकारी मेडिकल कौंसिल के प्रशासनिक अधिकारी किन्ही विशेष अधिकारों व नियमों के अन्तर्गत अपने विवेकानुसार रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं तथा सरकारी सेवा में सर्विस भी दे सकते हैं। यह कोर्स रोजगार पूरक होगा।
8. कृपया अपना निजी प्रोस्पेक्टस छपवाने में छात्रों/संरक्षकों की जानकारी हेतु कोई भी तथ्य न छुपायें मान्यता सम्बन्धी सही जानकारी दें। आपके प्रोस्पेक्टस में यदि कोई गलत स्टेटमेंट दर्शाया गया तो बोर्ड/एकेडमी इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
9. कृपया कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे डाक्टर शब्द बोर्ड/एकेडमी की गरिमा प्रभावित हो तथा सरकारी कानूनों का उल्लंघन हो। यदि कोई केन्द्र व्यवस्थापक/प्रतिनिधि ऐसा कोई भी कार्य करता है तो इसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा और उसी क्षण केन्द्र की सम्बद्धता/प्रतिनिधि मान्यता निरस्त मानी जायेगी।
10. वाद-विवाद की स्थिति में पटना न्यायालय ही मान्य होगा।
उपर्युक्त नियमावली पढ़कर, सोच-समझकर, मैं सम्बद्धता के लिए आवेदन कर रहा हूँ।
कृपया मान्यता देने की कृपा करें।

हस्ताक्षर

ग्राम-

पो-0-

जिला-

**Jesus Academy of Higher Education,
Ashok Rajpath, Patna-04**

Rules & Regulation For Affiliation

1. Any school/Institute is doing work after taking permanent affiliation from any board or Academy, then that school/Institute has required to have a good building construction or campus and have well qualified staffs. These all arrangement will done by centre Director. If these is any fault in this, then the Institute will responsible for that Academy will not responsible.
2. Questions and Answer sheets will sent by the Academy. The centre director will take examination on his own arrangement and sent Answer sheets to the Academy for evaluation, After that Academy gives awarded certificates to all the students.
3. The affiliation for any Institute will valid for only one year.
4. After satisfaction with any institute the duration will extended.
5. The Academy fee for affiliation will sent as a draft by the name **Jesus Academy of Higher Education** payable at **Patna**
6. The Academy has authority to give affiliation or not to any school/college/institute. The final decision will on the Academy.
7. These courses are employable, but the government official can appoint the Academy courses passed candidates in Government registration upon his self desire.
8. The affiliated Institute is directed that don't hide any matter in the prospectus to guardian/student about affiliation, if any wrong statement found in the prospectus. The Academy will not responsible for them.
9. Please you don't have do any work that the reputation of the doctor word or Academy effects or disturbing the Government rules or regulation. if any centre director does this type of work then institute will only responsible for that and immediately the affiliation of institute will cancelled by the Academy.
10. All disputes are subjects to Patna jurisdiction only.

Signature

Vill-

Po-

Distt-